भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –1931
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय नागरिकता का परित्याग

1931. **श्री खलीलुर रहमानः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों द्वारा नागरिकता के परित्याग से संबंधित कोई डाटा है और यदि हां, तो वर्ष–वार, राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उस राज्य का ब्यौरा क्या है जहां सबसे अधिक संख्या में लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने नागरिकता परित्याग के कारण होने वाली वित्तीय हानि के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों की संख्या 1,44,017 (2019 में); 85,256 (2020 में); 1,63,370 (2021 में); 2,25,620 (2022 में) और 2,16,219 (2023 में) थी। संदर्भ के उद्देश्य के लिए, डेटा 1,22,819 (2011 में); 1,20,923 (2012 में); 1,31,405 (2013 में); 1,29,328 (2014 में); 1,31,489 (2015 में); 1,41,603 (2016 में); 1,33,049 (2017 में); 1,34,561 (2018 में)। विदेशी नागरिकता के लिए भारतीय नागरिकता त्यागने वाले लोगों का राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है।

नागरिकता त्यागने/लेने के कारण व्यक्तिगत हैं। सरकार ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में वैश्विक कार्यस्थल की क्षमता को पहचानती है। इसने भारतीय प्रवासियों के साथ अपने जुड़ाव में भी एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है। एक सफल,

समृद्ध और प्रभावशाली प्रवासी भारत के लिए एक परिसंपत्ति है। भारत अपने प्रवासी नेटवर्क का दोहन करने और ऐसे समृद्ध प्रवासी होने से मिलने वाली सॉफ्ट पावर के उत्पादक उपयोग से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने सहित प्रवासी क्षमता का पूरा दोहन करना है।
